62

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह, भवन, रायपुर 492001

क्रमांक / 3095 / डी–17 / 7 / 1 / 2005 / 14–3 रायपुर, दिनांक 26/7/07

प्रति,

1. संचालक कृषि
छत्तीसगढ़, रायपुर.

2. संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
छत्तीसगढ़ रायपुर.

3. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम,
रायपुर.

4. कलेक्टर,
जिला .... (सर्व).

5. उप संचालक कृषि,
जिला .... (सर्व).

6. उप / सहायक, संचालक उद्यान,
जिला .... (सर्व).

विषय : माइक्रो इरीगेशन योजना (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के कियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी निर्देशों में संशोधन बाबत्।

संदर्भ : इस विभाग का पत्र कमांक– 4591 (A), डी–17 / 7 / 1 / 2005 / 14–3 दिनांक 4.11.2006.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों के शीर्ष "माइक्रो इरीगेशन योजना के कियान्वयन हेतु निर्धारित प्रकिया" के बिन्दु कमांक 7 व 8 में वर्तमान में निम्नानुसार प्रावधान है :–

- जिले के कृषि / उद्यानिकी अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर कृषक द्वारा चयनित किये गये विनिर्माता कंपनी को जल एवं विद्युत उपलब्धता के संबंध में हितग्राही का स्थल निरीक्षण कर प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु आदेश जारी किया जावेगा।
  (कार्यवाही– उप संचालक कृषि, उप / सहायक संचालक, उद्यान समय सीमा–2 कार्य दिवस)
- विनिर्माता कंपनी के प्रतिनिधि से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कृषक अंश की राशि की गणना जिला कृषि / उद्यानिकी अधिकारी द्वारा की जाकर इसकी सूचना जिला प्रबंधक / शाखा प्रबंधक, वरिष्ठ कृषि / उद्यान विकास अधिकारी एवं संबंधित कृषक को दी जावेगी।

कमशः 2

63

उपरोक्त प्रावधान केवल ड्रिप सिस्टम हेतु ही लागू रहेंगे तथा स्प्रिंकलर सिस्टम हेतु ऐस्टीमेट (प्राक्कलन) बनाये जाने की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। स्प्रिंकलर सिस्टम हेतु आयसोपाम योजना के अनुसार ही आवेदन तैयार कर प्रस्तुत होंगे तथा स्प्रिंकलर हेतु ऐस्टीमेट नहीं बनाये जायेंगे।

कृषक को उसकी मांग अनुसार स्प्रिंकलर प्रदान करने के बाद कृषक का संतुष्टि प्रमाण पत्र बीज एवं कृषि विकास निगम को मिलने के उपरांत निगम द्वारा 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा तथा शेष 18 प्रतिशत राशि का भुगतान भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर किया जावेगा। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा दिया जावेगा। ड्रिप सिस्टम हेतु सामग्री प्रदायक संस्था द्वारा कृषक को प्रदाय करने एवं कृषक की पावती प्राप्त होने पर सामग्री के बिल का 30 प्रतिशत का भुगतान प्रदायक संस्था को किया जावे। उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण के अनुसार कृपया योजना का कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

26/7/07

(विकास मिश्रा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृ. क्रमांक/3086/डी–17/7/1/2005/14–3 रायपुर, दिनांक 26/7/07

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
3. निज सहायक माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग.

26/7/07

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग